रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10032025-261538
SG-DL-E-10032025-261538

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]	दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 2025/फाल्गुन 19, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 438
No. 86]	DELHI, MONDAY, MARCH 10, 2025/PHALGUNA 19, 1946	[N. C. T. D. No. 438

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय
अधिसूचना

दिल्ली, 10 मार्च, 2025

फा. सं. 1/आईटीआई(1)/भर्ती नियम/2019/111.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 3532 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 5.05.2008 की अधिसूचना सं. फा. 3(26)/2007– प्रशि0प्रशा0/321 द्वारा अधिसूचित सहायक निदेशक/प्रधानाचार्य(सीनियर स्केल)/सहायक प्रशिक्षुता सलाहकार के पद हेतु भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श के उपरांत एतद् द्वारा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय ,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत प्रशिक्षण विंग में सहायक निदेशक/प्रधानाचार्य(सीनियर स्केल)/सहायक प्रशिक्षुता सलाहकार के पद की भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :–(i) इन नियमों को सहायक निदेशक/प्रधानाचार्य(सीनियर स्केल)/सहायक प्रशिक्षुता सलाहकार भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।

   (ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर**:–पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यता** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :—ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह का अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं, तो वह किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्ति के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव**:— इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

अनुसूची

1	2	3	4	5
पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद या गैर चयन पद है
सहायक निदेशक/ प्रधानाचार्य(सीनियर स्केल)/ सहायक प्रशिक्षुता सलाहकार	19*(2025) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर। अभ्युक्तिः सहायक निदेशक —03 प्रधानाचार्य सीनियर स्केल—15 सहायक प्रशिक्षुता सलाहकार —01	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय राजपत्रित, समूह क	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—11 (रुपये 67700—208700/—)	चयन पद

6	7	8	9	10
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत
40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय।) **टीप** : आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा	**अनिवार्य योग्यता** : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में स्नातक। तथा संबंधित विषय में योग्यता के पश्चात् पांच वर्षों का पेशेवर अनुभव। या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में योग्यता	आयु— लागू नहीं शैक्षिक योग्यता— कॉलम संख्या 11 में दर्शाई गई सीमा तक।	02 वर्ष सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए टीप : सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण करना होगा।	सीधी भर्ती द्वारा—50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा—50 प्रतिशत

यथाविज्ञापित होगी।	के पश्चात् पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव। **टीप 1** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। **टीप 2** : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएं) कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है/हैं।			

11	12	13
यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
पदोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स में स्तर–10 (रुपये 56100–177500/–) में प्रधानाचार्य (जूनियर स्केल)/प्रशिक्षण मूल्यांकन अधिकारी/ वरिष्ठ सर्वेक्षक/उप–प्रधानाचार्य /सहायक प्रशिक्षण निरीक्षक/ औद्योगिक संपर्क अधिकारी–सह प्रभारी अधिकारी/प्रशिक्षण अधिकारी के पद (पदों) पर 05 वर्षों की नियमित सेवा तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में कम से कम डिप्लोमा। प्रतिनियुक्ति : केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रशासन के अधिकारीः– (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; (ii) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर–10 में 05 (पांच) वर्षों की नियमित सेवा सहित या मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष तथा	**<u>विभागीय पदोन्नति समिति</u>** 1. वित्त आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यक्ष) 2. प्रशासनिक सचिव, संबंधित विभाग (सदस्य) 3. संबंधित विभागाध्यक्ष (सदस्य) 4. विशेष/अपर सचिव (सा.प्र.वि.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) **<u>विभागीय स्थायीकरण समिति</u>** 1. वित्त आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यक्ष) 2. प्रशासनिक सचिव, संबंधित विभाग (सदस्य) 3. संबंधित विभागाध्यक्ष (सदस्य) 4. विशेष/अपर सचिव (सा.प्र.वि.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य)	सीधी भर्ती वालों के लिये संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना आवश्यक है।

(ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती वालों के लिये तथ निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले। **टीप 1:** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **टीप 2:** भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। **टीप 3:** केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।		

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
नंदिनी पालीवाल, सचिव

DIRECTORATE OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION
NOTIFICATION

Delhi, the 10th March, 2025

F. No. 1/ITI(1)/RR/2019/111.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification Number S.O. 3532 dated the 24th September, 1968 and in supersession of the recruitment rules for the post of Assistant Director/Principal (Sr. Scale)/ Assistant Apprenticeship Advisor notified vide notification No.F. 3(26)/2007-Trg. Admn./321 Dated 5.05.2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Assistant Director/Principal (Sr. Scale)/ Assistant Apprenticeship Advisor in the Training Wing under the Directorate of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. **Short title and commencement:- (i)** These rules may be called the Assistant Director/Principal (Sr. Scale)/ Assistant Apprenticeship Advisor Recruitment Rules, 2025.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix:-** The number of posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.

3. **Method of Recruitment, Age limit and other qualification:-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications**:- No person,

   (a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living, or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person; shall be eligible for appointment to any of the said posts:

   Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax:-** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of person.

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	2	3	4	5
Name of Post	No. of Posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non selection post
Assistant Director/Principal (Sr. Scale)/ Assistant Apprenticeship Advisor	19* [2025] * Subject to variation dependent on workload Remark: Assistant Director-03 Principal Senior Scale-15 Assistant Apprenticeship advisor-01	General Central Service, Non-Ministerial Gazetted, Group 'A'	Level-11 (Rs. 67700 - 208700) in the Pay Matrix	Selection Post

6	7	8	9	10
Age Limits for Direct Recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether Age & Educational Qualifications prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
Not exceeding 40 years	**Essential Qualification:** Bachelor of Engineering / Technology in any discipline from a recognized	Age: No Educational Qualification:	Two Year for direct recruits **Note:** There	Direct Recruitment-50%

(Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issue by Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the UPSC.	University or Institute. **AND** Five years post qualification professional experience in the concerned discipline; or Five years post qualification teaching experience in the concerned discipline in a recognized institute; **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the U.P.S.C, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	To the extent indicated in column No. 11.	shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Competent Authority.	Promotion failing which by Deputation-50%

11	12	13
In case of Recruitment by Promotion / Deputation / Absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
Promotion: Five years regular service in the post(s) of Principal (Jr. Scale)/ Training Evaluation Officer/ Senior Surveyor/ Vice Principal/ Assistant Inspector of Training/ Industrial Liaison Officer-cum-Officer-In-charge/ Training Officer in Level-10 (Rs. 56100 - 177500) in the Pay Matrix and possessing at least Diploma in Engineering/ Technology from a recognized university/institute. Deputation: Officers of the Central Government/State Governments/Union Territory Administration: (a) (i) Holding analogues post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With 05 (Five) years regular service in the Pay Level-10 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department and (b) Possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruitment under column No. 7. **Note 1:** where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for	**Departmental Promotion Committee:** 1. Financial Commissioner, GNCT of Delhi (Chairman) 2. Administrative Secretary of the concerned Department(member) 3. Head of Department Concerned (member) 4. Special/Addl. Secretary (GAD), GNCT of Delhi(member) **Departmental Confirmation Committee:** 1. Financial Commissioner, GNCT of Delhi (Chairman) 2. Administrative Secretary of the concerned Department (member) 3. Head of Department Concerned (member) 4. Special/Addl. Secretary (GAD), GNCT of Delhi(member)	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for Direct Recruitment.

promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.		

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
NANDINI PALIWAL, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA